

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या— 06/RVSF-12-06/2023

/पटना, दिनांक.....

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में गैर सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेपिंग के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की कंडिका-4 (ii) एवं (iii) को विलोपित किये जाने हेतु संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. गैर सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेपिंग हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. उपर्युक्त के क्रम में अपनायी जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर संशोधन परिवहन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(राज कुमार)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023..... पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/—

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023..... पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि

परामर्शी—सह—सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /—

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023..... पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 /—

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023.12/17 पटना, दिनांक:—.....12.06.26

प्रतिलिपि:— राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या— 06/RVSF-12-06/2023

/पटना, दिनांक.....

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में गैर सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेपिंग के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की कंडिका-4 (ii) एवं (iii) को विलोपित किये जाने हेतु संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. गैर सरकारी वाहनों को निबंधित यान स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेपिंग हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. उपर्युक्त के क्रम में अपनायी जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर संशोधन परिवहन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राज कुमार)

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023..... पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—06/RVSF-12-06/2023..... पटना, दिनांक:—.....

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि

परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/RVSF-12-06/2023. 6/2/23 पटना, दिनांक:-10-06-26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।